



सत्यमेव जयते

(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटौती प्रस्ताव)

बिहार विधान सभा सचिवालय

(अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र)

फरवरी, 2026 की कार्यसूची

(खण्ड-07)

दिनांक- 19 फरवरी, 2026

माँग संख्या - 21

आय-व्ययक शीर्षक - शिक्षा विभाग

108. प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "शिक्षा विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए शिक्षा विभाग 60204,60,95,000/- (साठ हजार दो सौ चार करोड़ साठ लाख पंचानवे हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

- 109.-113. श्री राहुल कुमार, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री मो० कमरूल होदा, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री सतीश कुमार सिंह यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार के शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

माँग संख्या-54

आय-व्ययक शीर्षक - उच्च शिक्षा विभाग

114. प्रभारी मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "उच्च शिक्षा विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 8012,34,24,000/- (आठ हजार बारह करोड़ चौतीस लाख चौबीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

115. श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय ।

राज्य सरकार के उच्च शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

**माँग संख्या-43**

**आय-व्ययक शीर्षक - विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**

116. प्रभारी मंत्री, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 1003,57,10,000/- (एक हजार तीन करोड़ संतावन लाख दस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

**माँग संख्या-30**

**आय-व्ययक शीर्षक - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग**

117. प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "अल्पसंख्यक कल्याण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 896,21,32,000/- (आठ सौ छियानवे करोड़ इक्कीस लाख बत्तीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 118.-120. श्री आलोक कुमार मेहता, श्री मो० कमरूल होदा एवं श्री अखतरूल ईमान प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

**माँग संख्या-50**

**आय-व्ययक शीर्षक - लघु जल संसाधन विभाग**

121. प्रभारी मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "लघु जल संसाधन विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 1351,19,79,000/- (एक हजार तीन सौ इक्यावन करोड़ उन्नीस लाख उनासी हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 122.-123. श्री राहुल कुमार एवं श्री सतीश कुमार सिंह यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार के लघु जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या-18

आय-व्ययक शीर्षक - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

124. प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 1195,18,55,000/- (एक हजार एक सौ पंचानवे करोड़ अठारह लाख पचपन हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 125.-127. श्री राहुल कुमार, श्री आलोक कुमार मेहता एवं श्री सतीश कुमार सिंह यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय।

राज्य सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

ख्याति सिंह  
प्रभारी सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना।

कठौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायेगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2026- 527 /वि०स०, पटना, दिनांक- 18 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण / अन्य मंत्रिगण/ सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग एवं सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुपमा प्रसाद  
(अनुपमा प्रसाद)  
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2026- 527 /वि०स०, पटना, दिनांक- 18 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:-संयुक्त निदेशक, अध्यक्षीय कार्यालय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना के सूचनार्थ प्रेषित।

अनुपमा प्रसाद  
(अनुपमा प्रसाद)  
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-01/2026- 527 /वि०स०, पटना, दिनांक- 18 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुपमा प्रसाद  
(अनुपमा प्रसाद)  
निदेशक,

बिहार विधान सभा, पटना।

अनुपमा प्रसाद  
18/02/2026